INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

सत्यमेव जयते

₹10

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP21300878209029U
Certificate Issued Date	:	11-Feb-2022 11:45 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14147704/ PRAYAGRAJ SADAR/ UP-AHD
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14147704329946197972640
Purchased by	:	I SELF
Description of Document	:	Article 24 Copy or Extract
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	I SELF
Second Party	:	A R F S AND C PRAYAGRAJ
Stamp Duty Paid By	:	I SELF
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

सत्यमेव जयते

Please write or type below this line IN-UP21300878209029U

श्री मनीलाल शिक्षण समिति

यह जनरल स्टाम्प पेपर ...... Al. 108

जनपद प्रयागराज ...... संख्या ......

प्रबन्ध समिति ...... नियमावली के साथ संलग्न है।

2022-23

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
प्रयागराज मण्डल प्रयागराज

20/07/22

Statutory Alert:

1 The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2 The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3 In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

श्री मन्नी लाल शिक्षण समिति
121 चक दाउदनगर नैनी प्रयागराज
प्रबन्धकारिणी सूची वर्ष- 2022-23

क्र०	नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्रीमती पूर्णा मौर्या	30-सी० चक इन्ड्रस्यिल अली नैनी प्रयागराज	अध्यक्ष	समाजसेवा
2.	श्रीमीत अनीता कुशवहा	लेबर कालोनी नैनी प्रयागराज	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
3.	श्री अजय कुमार	117- चक दाऊद नगर नैनी प्रयागराज	सचिव	विधायक
4.	श्रीमती सरला	117- चक दाऊद नगर नैनी प्रयागराज	उपसचिव	गृहिणी
5.	श्री बरसाती	117- चक दाऊद नगर नैनी प्रयागराज	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
6.	श्री शिव कुमार सिंह	लेबर कॉलोनी नैनी प्रयागराज	उपकोषाध्यक्ष	श्रमिक नेता
7.	श्री अविरल श्रीवास्तव	चक दाउद नगर नैनी प्रयागराज	सदस्य	समाजसेवा
8.	श्री शिव कुमार सिंह	159/2 चक दाऊद नगर नैनी प्रयागराज	सदस्य	समाजसेवा

सहायक निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तर प्रदेश प्रयागराज

सरला अनीता पूर्णा मौर्या

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
प्रयागराज
20/07

प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 01359/2021-2022

दिनांक 12/11/2021

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण
संख्या:R/ALL/11225/2021-2022 पत्रावली संख्या:AL-108 दिनांक:1991-1992

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **श्री मन्नी लाल शिक्षण समिति, 121 चक दाउदनगर नैनी, प्रयागराज, 211008** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 108/1991-92 दिनांक-21/09/1991 को दिनांक-21/09/2021 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1150 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(Sanjay Kumar Singh)
AC43DB175E59C493BAF1E4D3DAA45BDBF18B5D2D
Date: 12/11/2021 5:15:42 PM, Location: Prayagraj.

जारी करने का दिनांक-12/11/2021

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

मन्नी लाल शिक्षण समिति 121 चकदाउद नगर, नैनी, इलाहाबाद

संशोधित स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम : मन्नी लाल शिक्षण समिति
2. संस्था का पता : 121, चकदाउद नगर, नैनी, इलाहाबाद उ0प्र0
3. संस्था का कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण भारत
4. संस्था का उद्देश्य :

1) बालकों तथा बालिकाओं हेतु ज्ञान का प्रसार तथा प्रचार करना।

2) बालकों तथा बालिकाओं के सर्वांगीण विकास हेतु उनकी शिक्षा का समुचित प्रबन्ध करना।

3) कला, साहित्य, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, खेलकूद एवं अन्य समस्त क्षेत्रों में ज्ञान का प्रसार करना पिछड़े तथा दलित वर्गों में शिक्षा का प्रसार करना।

4) ज्ञान बढ़ाने हेतु क्षेत्र में पुस्तकालयों, वाचनालय एवं विद्यालय की स्थापना करना।

5) शारीरिक विकास, स्वास्थ्य निर्माण के लिए खेलकूद को प्रोत्साहन देना।

6) क्षेत्रीय महिलाओं तथा बालिकाओं को शिक्षा का समुचित प्रबन्ध करना ताकि वे सुचारू रूप से अपना जीवन यापन कर सकें।

7) बालिकाओं तथा महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए प्रयत्नशील रहना।

8) स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम जनसंख्या नियन्त्रण कार्यक्रम एवं परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम भी किया जाय।

9) समाज में गाँवों एवं शहरों में खेलकूद प्रतियोगितायें आयोजित किया जाय।

10) खादी ग्रामोद्योग का विकास सम्बन्धी कार्यक्रम।

11) प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम चलाया जाय।

12) यह समस्त कार्यक्रम किया जाय जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम [illegible] 1860 [illegible] मान्य हो।

13) हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योग आदि कार्य को करना/कराना।

प्रबन्धक
मन्नी लाल शिक्षण समिति
नैनी इलाहाबाद

5. प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के नाम, पता, व्यवसाय व पद जिनको संस्था के नियमों के अनुसार सौंपा गया।

क्र0सं0	नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री संगम लाल	हर्ष वाटी, इलाहाबाद	अध्यक्ष	नौकरी
2.	श्री कन्हैया लाल यादव	117 [illegible] नगर, नैनी, नैनी, इलाहाबाद	उपाध्यक्ष	एडवोकेट
3.	श्री [illegible] कुमार	117 [illegible] नगर, नैनी, इलाहाबाद	सचिव	एडवोकेट
4.	श्रीमती सरला	117 [illegible] नगर, नैनी, इलाहाबाद	उपसचिव	गृहणी
5.	श्री शिव कुमार सिंह	लेबर कालोनी, नैनी, इलाहाबाद	उप कोषाध्यक्ष	श्रमिकनेता
7.	श्री योगेन्द्र कुमार पाण्डेय		सदस्य	समाजसेवा
8.	श्री एन0 हरिहरन	लेबर कालोनी, नैनी, इलाहाबाद	सदस्य	कृषि
9.	श्री वी0पी0 सिंह	[illegible] नगर, नैनी इलाहाबाद	सदस्य	कृषि
10.	श्री श्रीकृष्ण शर्मा	नैनी बाजार, नैनी, इलाहाबाद	सदस्य	कृषि
11.	श्री कुलभूषण श्रीवास्तव	लेबर कालोनी, नैनी, इलाहाबाद।	सदस्य	व्यापार

6. हम निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता संस्था के उपर्युक्त स्मृति पत्र के अनुसार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के धारा 21 सन् 1860 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं।

पूर्णिमा मौर्य

[illegible]

S.K. Singh

[illegible]

[illegible]

अध्यक्ष

[illegible] लाल शिक्षण समिति

नैनी, इलाहाबाद

मन्नी बाल शिक्षण समिति 121 पचाउद नगर, नैनी, इलाहाबाद

संशोधित स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम : मन्नी बाल शिक्षण समिति
2. संस्था का पता : 121, पचाउद नगर, नैनी, इलाहाबाद उ०प्र०
3. संस्था का कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण भारत
4. संस्था का उद्देश्य :

1) बालकों तथा बालिकाओं हेतु ज्ञान का प्रसार तथा प्रचार करना।

2) बालकों तथा बालिकाओं के सर्वांगीण विकास हेतु उनकी शिक्षा का समुचित प्रबन्ध करना।

3) कला, साहित्य, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, खेलकूद एवं अन्य समस्त क्षेत्रों में ज्ञान का प्रसार करना पिछड़े तथा दलित वर्गों में शिक्षा का प्रसार करना।

4) ज्ञान बढ़ाने हेतु क्षेत्र में पुस्तकालयों, वाचनालय एवं विद्यालय की स्थापना करना।

5) शारीरिक विकास, स्वास्थ्य निर्माण के लिए खेलकूद को प्रोत्साहन देना।

6) क्षेत्रीय महिलाओं तथा बालिकाओं की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध करना ताकि वे सुचारु रूप से अपना जीवन यापन कर सकें।

7) बालिकाओं तथा महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए प्रयत्नशील रहना।

8) स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम जनसंख्या नियन्त्रण कार्यक्रम एवं परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम भी किया जाय।

9) समाज में गांवों एवं शहरों में खेलकूद प्रतियोगितायें आयोजित किया जाय।

10) खादी ग्रामोद्योग का विकास सम्बन्धी कार्यक्रम।

11) प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम चलाया जाय।

12) वह समस्त कार्यक्रम किया जाय जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 21-18 60 के अन्तर्गत मान्य हो।

13) हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योग आदि कार्य को करना/कराना।

मन्नी बाल शिक्षण समिति
नैनी इलाहाबाद

S.K.Singh

हम निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता संस्था के है:-

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	श्री संगम लाल	हर्रो बारी, इलाहाबाद	
2.	श्री कन्हैया लाल यादव	117 चकदाउद नगर, नैनी, इलाहाबाद।	
3.	श्री अजय कुमार	117 चकदाउद नगर, नैनी, इलाहाबाद।	
4.	श्रीमती सरला यादव	117 चकदाउद नगर, नैनी, इलाहाबाद।	
5.	श्री बरसाती	चकदाउद नगर, नैनी, इलाहाबाद	
6.	श्री शिव कुमार सिंह	पेपर कालोनी नैनी, इलाहाबाद।	
7.	श्री योगेन्द्र कुमार पाण्डेय		
~~8.~~	~~श्री [illegible]~~	पेपर कालोनी, नैनी इलाहाबाद।	
9.	श्री बी०पी० सिंह	चकदाउद नगर, नैनी, इलाहाबाद।	
10.	श्री श्रीकृष्ण शर्मा	नैनी बाजार, नैनी, इलाहाबाद।	
11.	श्री कुलभूषण श्रीवास्तव	पेपर कालोनी, नैनी, इलाहाबाद।	

S. K Singh

मन्नी लाल शिक्षा समिति, 121, चकदाउद नगर, नैनी, इलाहाबाद

नियमावली

1. संस्था का नाम : मन्नी लाल शिक्षा समिति
2. संस्था का पूरा पता : 121, चकदाउद नगर, नैनी, इलाहाबाद उ0प्र0
3. संस्था का कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण भारत
4. संस्था का उद्देश्य : स्मृति पत्र के अनुसार होगा
5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग:

1. साधारण सदस्य:

संस्था सामान्य सदस्य कोई भी बन सकता है जो भारत का नागरिक हो तथा जिसपर कोई कानूनी मुकदमा नहीं चल रहा हो, अपराधी साधु, दीवालिया, तथा पागल व्यक्ति सदस्य के योग्य नहीं होगा।

2. आजीवन सदस्य:

संस्था के कुछ आजीवन सदस्य भी होंगे जो संस्था के समस्त कार्यों तथा समारोहों में भाग लेंगे तथा संस्था की उन्नति के लिए सुझाव और अपने विचार देंगे।

3. विशिष्ट सदस्य:

संस्था को चलाने के लिए कुछ विशिष्ट सदस्य भी होंगे जो संस्था की व्यवस्था में पूर्ण सहयोग देंगे तथा संस्था की उन्नति के लिए कार्य करेंगे। विशिष्ट सदस्यों की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी के सदस्य उनकी विशेष योग्यता जैसे, शिक्षा, खेलकूद, साहित्य, एवं संगीत में हो।

संरक्षक सदस्य:

संस्था को चलाने हेतु कुछ संरक्षक सदस्य भी मनोनीत किये जायेंगे जो समाज में प्रतिष्ठा रखते हों।

5. सदस्यता शुल्क:

संस्था की सदस्यता शुल्क निम्न होंगे: साधारण सदस्य 5/- रुपये प्रति माह या रुपया 50 प्रति वर्ष आजीवन सदस्य रुपये 2000/-

S. K Singh

मन्नी लाल शिक्षण समिति
नैनी इलाहाबाद

6. **सदस्यता की समाप्तिः**

किसी सदस्य की मृत्यु पागल अथवा दीवालिया होने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी इसके अतिरिक्त अनुशासन हीनता गबन अथवा संस्था के प्रति ईमानदार नही रहने पर, उसकी सदस्यता अध्यक्ष द्वारा सचिव के अनुमोदन पर समाप्त की जा सकती है अध्यक्ष तथा सचिव को पूर्ण अधिकार होगा कि किसी भी सदस्य की सदस्यता किसी भी समय बिना उसको सूचना दिये समाप्त की जा सकती है।

7. **संस्था के अंग :** संस्था के दो प्रमुख अंग है।

1. साधारण सभा
2. प्रबन्धकारिणी समिति

अ) साधारण सभा

साधारण सभा निम्न प्रकार की होगी।

गठन- साधारण सभा का गठन सभी सदस्यों के द्वारा निर्धारित होगा इसमें साधारण सदस्य, विशिष्ट सदस्य प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्य तथा संरक्षक सदस्य शामिल होंगे।

बैठक- साधारण सभा की बैठक दो तरह की होगी
1. सामान्य
2. विशेष सामान्य बैठक हर 6 माह पर होगी तथा विशेष बैठक प्रबन्धकारिणी के आग्रह पर बुलाई जायेगी।

सूचना अवधिः साधारण सभा की सूचना 15 दिन पहले सभी सदस्यों को देनी होगी विशेष सभा के लिए एक सप्ताह पूर्व सभी सदस्यों को सूचना देना अनिवार्य है।

गणपूर्तिः साधारण सभा के सदस्यों के अनुसार गणपूर्ति होगी जो कि प्रबन्धकारिणी समिति तय करेगी।

S. K. Singh

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि आदि:

संस्था का साल में एक बार वार्षिक अधिवेशन होगा जिसकी तिथि का निर्णय तथा निर्धारण प्रबन्ध समिति के सदस्य करेंगे लेकिन सभी वर्ग के सदस्यों को एक माह पूर्व तिथि की सूचना देना आवश्यक है।

साधारण सभा के कर्तव्य:

साधारण सभा का कर्तव्य मुख्य रूप से संस्था की उन्नति के हेतु अपने सुझाव प्रबन्धकारिणी समिति को देना होगा। इसके अलावा यह प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों की समीक्षा समय समय पर करती रहेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति: प्रबन्धकारिणी समिति निम्न प्रकार की होगी।

गठन: प्रबन्धकारिणी समिति का गठन आम सभा तथा संरक्षक की सहमति से होगा प्रबन्धकारिणी समिति में सदस्य सभी वर्गों से चुने जायेंगे।

बैठक: बैठक दो प्रकार की होगी।

सामान्य बैठक: प्रत्येक 3 माह में एक बार बुलायी जायेगी जिसमें संस्था की समस्याओं पर विचार होना तथा उन सुझावों तथा समीक्षाओं पर भी विचार होगा जो संस्था की उन्नति के लिए होगी।

विशेष बैठक: किसी विशेष समस्या के आ जाने पर अथवा किसी विशेष परिस्थिति में सचिव द्वारा बुलायी जायेगी।

सूचना अवधि: साधारण अथवा विशेष बैठक की सूचना प्रबन्धकारिणी सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व देनी होगी।

गणपूर्ति: गणपूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति के सहमति से होगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति:

प्रबन्धकारिणी समिति में यदि कोई स्थान रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति सचिव द्वारा या अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

लाल शिक्षण समिति

S. K Singh

या अधिकार में किसी भी सदस्य को हस्तक्षेप करने का कोई भी अधिकार नही होगा वह अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र होगा लेकिन बाद में उसकी पुष्टि प्रबन्धकारिणी समिति से करायेगा।

उपसचिव:

सचिव के न रहने पर उप सचिव संस्था की सारी देख भाल करेगा और सचिव के सारे अधिकारों का प्रयोग करेगा।

कोषाध्यक्ष:

कोषाध्यक्ष संस्था के धन का रक्षक होगा सचिव की सहमति से वह संस्था हेतु धन व्यय करेगा संस्था द्वारा सचिव धन का विवरण अपने पास रखेगा।

उपकोषाध्यक्ष:

उप कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सारा कार्य करेगा।

प्रबन्धकर्त्री समिति सदस्य:

प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव साधारण सभा या अध्यक्ष द्वारा होगा कार्यकारिणी के सदस्यों को संस्था के हित में कार्य करने होगा संस्था की उन्नति के लिए वे अपना सुझाव सचिव को समय समय पर देते रहेंगे।

6. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया:

संस्था में किसी भी नियम या विनियम के संशोधन हेतु दो तिहाई प्रबन्धकारिणी सदस्यों की सहमति आवश्यक है।

संस्था का कोष:

संस्था का कोष संस्था के कोषाध्यक्ष के पास रहेगा वही संस्था का सारी लेखा जोखा अपने पास रखेगा सचिव की सहायता से वह धन का व्यय कर सकेगा।

S. K Singh

10. <u>संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण:</u>

संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा हर वर्ष कराया जायेगा।

11. <u>संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का दायित्व:</u>

संस्था का न्यायालय क्षेत्र इलाहाबाद जिला न्यायालय होगा विवाद होने पर इलाहाबाद में ही सारे मामले तय किये जायेंगे।

12. <u>संस्था के अभिलेख:</u>

संस्था के सारे अभिलेख जैसे सदस्यता रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर, कैशबुक, सभी सचिव तैयार करेगा तथा अपने पास रखेगा और समय आने पर उपयुक्त व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

13. <u>संस्था के विघटन:</u>

संस्था के विघटन होने पर संस्था की सम्पत्ति का वितरण की कार्यवाही सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

"सत्य प्रतिलिपि"

स्थान: नैनी, इलाहाबाद।

पूर्णा मौर्या

S.K Singh

3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.